संख्या-928 /एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 26-08-2025

विषयः- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-26990/2022 श्रीमती माहिनी बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक13.02.2025 के अनुपालन में स्व0 यदवीर सिंह, सफाई कर्मी के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-257/दै0आ0सहा0-एसडीआरएफ-बजट दिनांक 07 अगस्त, 2025 एवं पत्र संख्या-260/दै0आ0सहा0-एसडीआरएफ-बजट दिनांक 22 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्य में कार्यरत स्व0 यदवीर सिंह, सफाई कर्मी, पंचायतीराज विभाग, जनपद-अलीगढ के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की अहेतुक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-26990/2022 श्रीमती माहिनी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2025 को आदेश पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत हैः-

"4. Since the claim of the petitioner has otherwise been forwarded by the authorities and necessary certificates exist on record to certify the death of petitioner's husband to have occurred while working as a Corona warrior on account of pandemic COVID-19 infection, the rejection of claim for compensation cannot be sustained. Consequently, the order impugned dated 18.07.2022 is hereby quashed.

5. Accordingly, the writ petition is allowed with a direction upon the respondents to reconsider the petitioner's claim and to release the amount due and payable in terms of the scheme, within a period of two months from the date of presentation of copy of this order."

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.02.2025 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) डायरी संख्या-35796//2025 स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम माहिनी में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.08.2025 से खारिज करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

1- Delay condoned.
2- In the facts and circumstances of the case, we are not inclined to entertain this petition. The special leave petition is dismissed.
3- However, the question of law is kept open.
4- The period for implementation of the order of the High Court is extended by six weeks from today.
5- Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

4- प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2025 का अनुपालन न होने के दृष्टिगत उक्त मामले में याची श्रीमती माहिनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या-2122/2025 माहिनी बनाम श्री संजीव रंजन, जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-

1. Heard Sri Vinod Kumar, learned counsel for the applicant and learned Additional Chief Standing Counsel for State.
2. Today, learned counsel for applicant has produced copy of order dated 01.08.2025 and informed that Special Leave Petition (Civil) Diary No(s). 35796/2025 referred in order dated 07.07.2025 has been dismissed by Apex Court granting six weeks further time to the opposite party for implementation of order of High Court. The copy of the order dated 01.08.2025 is taken on record.
3. Under such facts of the case, list this case on 18.09.2025. On that date, opposite party no. 1 is directed to file compliance affidavit, failing which, he shall remain present before the Court.
4. Registrar (Compliance) is directed to send a copy of this order to opposite party no. 1 forthwith for immediate compliance.

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्व0 यदवीर सिंह, सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत सालारपुर, अतरौली, जनपद अलीगढ़ की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक कार्मिक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-04(जी)/2015-टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में वित्तीय वर्ष-2025-26 में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं

प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
2. राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी.सी. दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0 दिनांक 22 जून, 2021 एवं राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021, दिनांक 26.07.2021 में निहित प्राविधानों/शर्तो के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक की ड्यूटी कोविड-19 की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में लगायी गयी थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुयी है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति करेंगे।
3. स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता हैं) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय मे सही मदो मे पुस्ताकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 26-08-2025 17:05:50

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या-928(1)/एक-10-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई- बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- सम्वन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-29/08/2025

प्रेषण संख्या:- 928
आवंटन आदेश संख्या:- 001-928
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	5000000	5000000
		प्रगामी	14800000	14800000
	योग	वर्तमान	5000000	5000000
		प्रगामी	14800000	14800000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ अड़तालीस लाख

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।